

बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों की अनुप्रति कोचिंग योजना के प्रति जागरूकता का अध्ययन

डॉ. मनीष सैनी¹, पूजा हरितवाल²

¹असिस्टेंट प्रोफेसर, बियानी गर्ल्स बी.एड. कॉलेज
²बी.एड. एम.एड. छात्रा बियानी गर्ल्स बी.एड. कॉलेज

सारांश:-

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र है। जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम है। योजनान्तर्गत अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान को कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए 40 हजार रूपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। “पैसे के अभाव में प्रतिभाए नहीं होगी वंचित” के उद्देश्य से दिनांक 05.06.2021 को मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत प्रदेश के मेधावी विद्यार्थी अब आर्थिक तंगहाली के कारण अपने सुनहरे भविष्य से वंचित होंगे। इस योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे। इस योजना से वर्ष 2021-2022 में 10,000 अभ्यर्थी लाभान्वित होने का लक्ष्य रखा गया, इसके उपरान्त परिपत्र होने का लक्ष्य रखा गया, इसके उपरान्त परिपत्र 09.03.2022 के अनुसार वर्ष 2023-24 से 30,000 अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

शब्दावली:- प्रतियोगी परीक्षा, अनुप्रति कोचिंग योजना, जागरूकता

प्रस्तावना: -

शिक्षा समाज के विकास की आधारशिला है। यह व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके शिक्षित नागरिकों पर निर्भर करती है और इन शिक्षित नागरिकों को दिशा देने वाले शिक्षक ही होते हैं। इस दृष्टि से शिक्षकों का प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में शिक्षक बनने की दिशा में बी.एड. (बैचलर ऑफ एजुकेशन) पाठ्यक्रम को एक महत्वपूर्ण आयाम माना जाता है। जो प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण कौशल, वर्ग संचालन, मूल्य शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान जैसे विविध पहलूओं में प्रशिक्षित करता है।

हाल ही के वर्षों में भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शैक्षिक क्षेत्र में समान अवसरों को बढ़ावा देने हेतु कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इन्हीं में से एक राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई “अनुप्रति कोचिंग योजना” है। जिसका उद्देश्य समाज के आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों - जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराना है।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग द्वारा, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु योजना का संचालन अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाता है।

राजस्थान के मेधावी प्रशिक्षणार्थियों हेतु राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य ैब्थैज्ठब् डठब्म्े वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को बिना किसी शुल्क के प्रतियोगी परिक्षायें: जैसे रीट की विश्वस्तरीय कोचिंग सुविधाएँ उपलब्ध करना है। जिससे की विद्यार्थी उक्त परीक्षाओं में सफल होकर राजस्थान का मान बढ़ा सके, साथ ही साथ देश की प्रगति में भी अपना योगदान दे सके।

अध्ययन का औचित्य:-

अनुप्रति कोचिंग योजना के अध्ययन से न केवल इस योजना के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। बल्कि इससे शिक्षा प्रणाली में सुधार और विद्यार्थियों के लिए बेतहर अवसर प्रदान करने में भी मदद मिल सकती है।

1. शैक्षिक अवसरों की समानता:- अनुप्रति कोचिंग योजना के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। बल्कि इससे शिक्षा प्रणाली में सुधार और विद्यार्थियों के लिए बेतहर अवसर प्रदान करने में भी मदद मिल सकती है।

2. आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को समर्थन:- इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान किया जा सकता है।

3. शिक्षा नीति और कार्यक्रमों का मूल्यांकन:- इस योजना के अध्ययन से शिक्षा नीति और कार्यक्रमों विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान किया जा सकता है।

4. भविष्य की योजनाओं के लिए सुझाव:- अनुप्रति कोचिंग योजना के अध्ययन में भविष्य की योजनाओं के लिए सुझाव प्राप्त किया जा सकते हैं। नई योजनाओं को विकसित करने में मदद मिल सकती है।

शोध अध्ययन से उत्पन्न प्रश्न:-

1. अनुप्रति योजना क्या है?
2. अनुप्रति कोचिंग योजना का उद्देश्य क्या है?
3. अनुप्रति योजना के अन्तर्गत पात्र होंगे?
4. अनुप्रति कोचिंग योजना कब व किसके द्वारा चलाई गयी?

समस्या कथन -

बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों की अनुप्रति कोचिंग योजना के प्रति जागरूकता का अध्ययन

शोध के उद्देश्य:-

1. बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की अनुप्रति कोचिंग योजना के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. शहरी क्षेत्र के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों का अनुप्रति कोचिंग योजना के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

3. ग्रामीण क्षेत्र के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों का अनुप्रति कोचिंग योजना के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

सम्बन्धित साहित्य

1. **शर्मा, रेखा (2018):** कोचिंग योजनाओं के प्रति बी.एड. विद्यार्थियों की जागरूकता का मूल्यांकन का अध्ययन करना।
2. **उद्देश्य:** कोचिंग योजनाओं के प्रति बी.एड. विद्यार्थियों की जागरूकता का मूल्यांकन करना।
3. **परिणाम:** केवल 34% प्रशिक्षणार्थी योजना से परिचित थे; शहरी छात्रों में जागरूकता अधिक थी।
4. **जैन, प्रीति (2019):** अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को सशक्त बनाने में अनुप्रति योजना की भूमिका
5. **उद्देश्य:** अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को सशक्त बनाने में अनुप्रति योजना की भूमिका।
6. **परिणाम:** 40 छात्र योजना से अवगत थे; लाभार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ा।
7. **कुमावत, लक्ष्मण (2020):** अनुप्रति योजना के क्रियान्वयन का अध्ययन
8. **उद्देश्य:** अनुप्रति योजना के क्रियान्वयन का अध्ययन।
9. **परिणाम:** योजना की जानकारी का प्रचार-प्रसार सीमित; जागरूकता कार्यक्रमों से सुधार।
10. **वर्मा, सीमा (2017):** अनुप्रति योजना का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
11. **उद्देश्य:** अनुप्रति योजना का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव।
12. **परिणाम:** वित्तीय सहायता से कोचिंग में नामांकन बढ़ा।
13. **मिश्रा, अजय (2016):** ग्रामीण और शहरी बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में योजना की जानकारी की तुलना का अध्ययन करना।
14. **उद्देश्य:** ग्रामीण और शहरी बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में योजना की जानकारी की तुलना।
15. **परिणाम:** शहरी क्षेत्र में 55 व ग्रामीण में 28 जागरूकता।

साहित्य विवेचना:-

प्रस्तुत शोध में राजकीय एवं निजी विद्यालयों के किशोर छात्र-छात्राओं के व्यवहारिक दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। इससे सम्बन्धित अध्ययन निम्न है - शर्मा, रेखा (2018), जैन, प्रीति (2019), कुमावत, लक्ष्मण (2020), वर्मा, सीमा (2017), मिश्रा, अजय (2016) अतः उपरोक्त शोध अध्ययनों में राजकीय एवं निजी विद्यालयों के किशोर छात्र-छात्राओं के व्यवहारिक दोषों का तुलनात्मक अध्ययन से सम्बन्धित अनेक शोध कार्य किये गये हैं। प्रस्तुत अध्ययन में यही देखा जाएगा कि क्या सरकारी विद्यालयों का वातावरण सुधार कर किशोर छात्रों के व्यवहारिक दोषों में कमी आई है और क्या निजी विद्यालय जहाँ संचालक समिति पर्याप्त शैक्षिक वातावरण बनाने का प्रयास करती है।

प्रयुक्त शोध विधि:-

प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध न्यादर्श:-

प्रस्तुत शोध में राजस्थान के जयपुर जिले की कोचिंगो को शामिल किया जायेगा। शोधकर्त्री ने अध्ययन में प्रतियोगी परीक्षाओं के 200 विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जायेगा। इनमें छात्र व छात्राएँ दोनों को शामिल है।

शोध में प्रयुक्त उपकरण -


प्रस्तुत शोधकार्य में स्वनिर्मित अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया गया है। यह उपकरण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे है विद्यार्थियों को अनुप्रति योजना के प्रति जागरूक करने को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया है। इस उपकरण में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को अपना नाम, आयु, लिंग, प्रतियोगी परीक्षा का नाम, कोचिंग का नाम, शहर का नाम, दिनांक आदि आवश्यक सूचनाओं को भरना होता है। उसके पश्चात् दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिये गये 30 कथनों के उत्तर हाँ, एवं नहीं में देने होते है।

अध्ययन के चर: -

- S स्वतंत्र चर: अनुप्रति योजना
- S आश्रित चर: प्रतियोगी परीक्षाओं के अन्तर्गत छात्र व छात्राएं

बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की अनुप्रति कोचिंग योजना के प्रति जागरूकता का अध्ययन।

क्र.सं.	श्रेणी	छात्र व छात्राओं की संख्या	प्रतिशत
1 ^प	छात्र	100	88:
2 ^प	छात्रा	100	86:




परिणाम -

उपरोक्त तालिका/ग्राफ से स्पष्ट होता है कि दोनों प्रकार के छात्र एवं छात्रा अनुप्रति योजना के उद्देश्यों को सकारात्मक रूप से माना है। उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुप्रति कोचिंग योजना के प्रति विद्यार्थियों को जागरूकता के मूल्यांकन का प्रतिशत छात्र 88% तथा छात्रा 86% है, जो दर्शाता है कि छात्रों में अनुप्रति योजना के प्रति छात्राओं से अधिक जागरूकता पायी गई है।

शहरी क्षेत्र के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों का अनुप्रति कोचिंग योजना के प्रति जागरूकता का अध्ययन

क्र.सं.	श्रेणी	छात्र व छात्राओं की संख्या	प्रतिशत
1 ^प	छात्र	100	83:
2 ^प	छात्रा	100	79:



परिणाम -

तालिका संख्या-2 में प्रतियोगी परीक्षाओं के अन्तर्गत विद्यार्थियों को प्रभाव का विश्लेषण करते हुए अनुप्रति योजना के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया है।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुप्रति योजना के संदर्भ में कोचिंग के छात्र व छात्राओं का प्रतिशत दर्शाया गया है। जिसके अन्तर्गत छात्रों का प्रतिशत 83 तथा छात्राओं का प्रतिशत 79 रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि छात्राओं की अपेक्षा छात्र अनुप्रति योजना के प्रति अधिक जागरूक है।

निष्कर्ष:

अनुप्रति कोचिंग योजना के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं विद्यार्थियों को इस योजना के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। शिक्षकों और परामर्शदाताओं की भूमिका अनुप्रति कोचिंग योजना के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण है। वे विद्यार्थियों को इस योजना के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं और उन्हें इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। मीडिया और प्रौद्योगिकी का उपयोग अनुप्रति कोचिंग योजना के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों को इस योजना के बारे में जानकारी प्रदान की जा सकती है। कार्यशालाएं और सेमिनार अनुप्रति कोचिंग योजना के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित किए जा सकते हैं। इन आयोजनों में विद्यार्थियों को इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की जा सकती है और इसके लिए प्रेरित किया जा सकता है।

सुझाव:-

- 1. शिक्षण संस्थानों की भूमिका में विस्तार:-** अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को न केवल पाठ्यक्रम का ज्ञान देना चाहिए बल्कि प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध शैक्षिक योजनाओं और अवसरों के प्रति जागरूक करना चाहिए।
- 2. शैक्षिक योजना के प्रचार प्रसार की आवश्यकता:-** यदि प्रशिक्षणार्थियों में योजना के प्रति जागरूकता कम पायी जाती है तो यह दर्शाता है कि योजनाओं के प्रचार में कमी है। इससे यह निहित होता है कि योजनाओं की जानकारी पहुंचाने हेतु विशेष अभियान चलाने चाहिए।
- 3. शिक्षा में समान अवसरों की सशक्तिकरण:-** यह योजना वंचित वर्गों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। जागरूकता बढ़ने से ऐसे वर्गों के विद्यार्थियों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने का अवसर मिलेगा। जिससे शिक्षा में समावेशिता और समानता को बढ़ावा मिलेगा।

4. प्रशिक्षकों की भूमिका में परिवर्तन:- भविष्य के शिक्षकों (बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों) को खुद भी इस योजना से लाभ लेकर न केवल अपना भविष्य संवारना चाहिए बल्कि वे जब शिक्षक बने तथा समाज में ऐसे शैक्षिक संसाधनों की जानकारी प्रशिक्षणार्थियों तक पहुंचाने में भी सहायक बन सकते हैं।

5. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार:- जब अधिक से अधिक योग्य व प्रशिक्षित शिक्षक सामने आएं तो शिक्षा की गुणवत्ता भी स्वतः बढ़ेगी। अनुप्रति कोचिंग योजना जैसी योजनाएं प्रतिभाशाली किन्तु आर्थिक रूप प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिस्पर्धा में टिकने का अवसर देती हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- [1]. कपिल एच. के. (2012): "सांख्यिकी के मूल तत्व", आगरा, एच.पी. भार्गव बुक हाऊस।
- [2]. विजय बी. कोरिष्ठि (2003): "भारतीय ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का अध्ययन", कर्नाटक, बेलगम।
- [3]. जॉन, डब्ल्यू, बेस्ट (1963): "रिसर्च इन एजुकेशन", प्रेक्टिस हॉल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
- [4]. नवरंग राय व रोशन लाल: "सामान्य जागरूकता व सामान्य अध्ययन", राय पब्लिकेशन्स।
- [5]. आर. एस. शर्मा (2005): "शैक्षिक अनुसंधान", मेरठ, कमल बुक डिपो।

Websites:

- <https://www.tourism.rajasthan.gov.in>
- <https://govtschemes.in>
- <https://pmjandhanyojana.co.in>
- <https://yojanagovernment.in>
- <https://www.mygov.in/hindi/girlseducation.html>
- <https://rajasthanstudy.blogspot.com/2018>
- <https://google.com>